



भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्गमंत्रालय
मुख्य अभियंता एवं प्रशासक कार्यालय
अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म
पोर्ट ब्लेयर

Government of India
Ministry of Ports, Shipping & Waterways
Office of the Chief Engineer & Administrator
Andaman Lakshadweep Harbour Works
Port Blair-744101

Phone : 232864, 232862,
232753
Fax : 03192 - 233245
Website : <http://alhw.and.nic.in>
-Mail : alhw.and@nic.in

संख्या: एएलएचडब्ल्यू/एडीएम/2(1)/2022/खंड-11
No: ALHW/ADM/2(1)/2022/Vol-II

दिनांक:
Dated: 10.11.2022

कार्यालय आदेश संख्या: /OFFICE ORDER NO. 848.../2022

'स्थानांतरण समिति' के सिफारिश के आधार पर, लोकहित में निम्नलिखित समूह 'ख'(अराजपत्रित) और 'ग' के स्थानांतरण एवं तैनाती को एतद्द्वारा तत्काल आदेशित किया जाता है

Based on the recommendation of 'Transfer Committee', the following transfers and posting of Group 'B' (NG) & 'C' officials of ALHW are hereby ordered.

क्र. सं. Sl. No	नाम और पदनाम Name & Designation	स्थानांतरण / Transferred		Remarks
		से / From	को / To	
1.	श्री के एस राजा, क.अभि.(सिविल) Shri K S Raja, JE(Civil)	उमुअ (अंडमान) परिमंडल, अलबस, के तहत मायाबंदर । Mayabunder under DCE(Andaman) circle, ALHW	उमुअ (अंडमान) परिमंडल, अलबस, के तहत रंगत । Rangat under DCE(Andaman) circle, ALHW	Public Interest
2.	श्रीमती भूमिका वती, क.अभि. (सिविल) Smti Bhumika Wati, JE(Civil)	मुख्य अभियंता एवं प्रशासक कार्यालय के तहत उप मुख्य अभियंता (नौसेना परियोजना) । CE & A, ALHW, Port Blair posted under DCE (Naval Project).	मुख्य सतर्कता अधिकारी (अलबस) पोर्ट ब्लेयर। CVO, ALHW, Port Blair	Public Interest

2. सभी वैयक्तिकों को दिनांक 30.11.2022 तक कार्यभार से मुक्त किया जाए और परिमंडल अधिकारियों द्वारा दिसंबर, 2022 के प्रथम सप्ताह तक अनुपालनात्मक रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए।

All the individuals should be relieved by 30.11.2022 and compliance report submitted to this office by the Circle Officers by first week of December, 2022.

3. इस कार्यालय से अन्यथा अगले आदेश तक यदि स्थानांतरित पदधारियों को उल्लेखित समय के भीतर कार्यभार से मुक्त नहीं किया जाता है, तो तैनाती के नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने तक उनके वेतन को रोका जाएगा।

In case the transferred officials are not relieved within the stipulated time, unless further orders from this office, their pay shall be liable to be withheld till joining the new place of posting.

4. इसे मुख्य अभियंता एवं प्रशासक (अलबनिका) के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।
This issues with the approval of the Chief Engineer & Administrator (ALHW)

D.
7/11

8

(ए. कुप्पूसामी / A. Kuppusamy)
प्रशासनिक अधिकारी (अलबस)
ADMINISTRATIVE OFFICER (ALHW)

प्रतिलिपि प्रेषित / Copy to:

1. कार्यालय आदेश फाईल /Office order file.
2. व्यक्ति विशिष्टों को संबंधितों के माध्यम से /All Individuals through concerned.
3. उप मुख्य अभियंता (अं)/(यां)/(ने.प्रो.)/(नि) और(लक्ष), अलबस ।
The DCE (A)/DCE(M)/DCE(NP)/DCE(N) & DCE(LD), ALHW.
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी (अलबस) पोर्ट ब्लेयर । The CVO, ALHW, Port Blair.
- ✓ 5. EE(ALHW), Port Blair with the request to upload in the department website.
6. मुख्य अभियंता एवं प्रशासक (अलबस) पोर्ट ब्लेयर के निजी सचिव । PS to CE&A (ALHW).
7. अतिरिक्त प्रति/मुख्य Spare.